न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 12/2019

निर्णय दिनांक– 21.12.2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. तहसीलदार भोपालगढ़		1. मदनलाल पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी अरटियां कलां तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 19.02.2019 को पेश किया गया था। प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजियात का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है–

1. यह है कि ग्राम अरटियां कलां के खसरा नं. 39 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी चारम स्थित है उक्त भूमि भूमिहीन हेमाराम पुत्र उमेदराम जाति मेघवालों का भाट निवासी अरटियां कलां को सिवायचक दर्ज कर आवंटित की गयी जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति था जिसको आगे प्रार्थनापत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है।

2. यह हैं कि विवादित भूमि सेटलमेंट के समय नरपतसिंह, अबेसिंह, भगवानसिंह, हरनाथसिंह, जगनाथसिंह पुत्र गुलाबसिंह कौम राजपूत निवासी अरटियां कलां की खातेदारी में दर्ज था तथा सभी भाइयों नें आपसी सहमति से विवादित खेत भगवानसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत के हिस्से में दर्ज कर दिया। खातेदार भगवानसिंह ने विवादित खेत का जरिये बंटवाड़ा के नामान्तरकरण संख्या 245 उक्त विवादित भूमि अपनी पत्नी सज्जनकंवर पत्नी भगवानसिंह 1/2 हिस्सा व अपने पुत्र सरूपसिंह पुत्र भगवानसिंह 1/2 हिस्सा में दर्ज कर रेवन्यू रेकर्ड में अमल दरामद हो गया जो स्वर्ण जाति के व्यक्ति है। जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 तक विवादित भूमि सज्जनकंवर पत्नी भगवानसिंह व स्वरूपकंवर पुत्र भगवानसिंह के खातेदारी में दर्ज थी, इसी दरम्यान सिंलिग कानूनी अधिकार (पॉवर) में आया तथा जमीदारों की भूमि अधिकतम सीमा से अधिक भूमि सरकार द्वारा धारण कर भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि भूमि आंवटित की गयी। खातेदार सज्जनकंवर व सरूपसिंह के पास व उनके परिवार के पास ग्राम अरटियां कलां में सिंलिग सीमा से अधिक भूमि होने से विवादित भूमि का अधिग्रहण कर नामान्तरकरण संख्या 344 के जरिये सिवाय चक दर्ज की गयी तथा नामान्तरकरण संख्या 368 के जरिये हेमाराम पुत्र उम्मेदराम कौम भाट (मेघवालों का भाट) को आंवटित की गयी जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति था तथा उसके देहान्त के बाद विवादित भूमि उसकी पत्नी तुलछी के नाम खातेदारी में दर्ज हो गयी।

21.12.2020

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

3. यह है कि अप्रार्थी मदनलाल ने अपने लाभ के लिए खातेदार तुलछी की सही जाति छिपाकर अनुसूचित जाति की विवादित भूमि जरिये बेचाननामा दिनांक 11.03.1997 को खातेदार तुलछी से खरीद कर ली, जबकि विवादित भूमि की खातेदार तुलछी पत्नी हेमाराम जाति भाट (मेघवालों का भाट) अनुसूचित जाति की थी तथा खरीददार अप्रार्थी मदनलाल पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी अरटियां कलां स्वर्ण जाति का व्यक्ति था।

तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 21.08.1998 में कॉलम नम्बर 14 व 15 में स्पष्ट लिखा गया कि विवादित भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य की है तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा नामान्तरकरण की जांच के दौरान मूल दस्तावेज पेश करने को कहा लेकिन अप्रार्थी ने मूल दस्तावेज जानबूझ कर पेश नही किया तथा अप्रार्थी व ग्राम अरटियां कलां के सरपंच की मिली भगत से ग्राम पंचायत अरटियां कलां में प्रस्ताव लिये बिना ही तथा बिना अधिकार के विवादित भूमि में नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया।

तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा प्राप्त प्रार्थनापत्र में ग्राम अरटियां कलां की विवादित भूमि खसरा नं. 39 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा का बेचान दिनांक 11.03.1997 अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा स्वर्ण जाति का होने से विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से प्रारम्भ से ही शून्य है तथा अनुसूचित जाति की कृषि भूमि स्वर्ण जाति को कानूनी प्रावधानुसार नही मिल सकती इसलिए विवादित भूमि राज हक में दर्ज करने की प्रार्थना की। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु तहसीलदार भोपालगढ़ ने निवेदन किया। प्रार्थनापत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न है:–

1. नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि।

2. ग्राम अरटियां कलां के नामान्तरकरण संख्या 976 की प्रमाणित प्रतिलिपि।

3. बेचाननामे की प्रमाणित प्रतिलिपि

3. प्रार्थनापत्र की अतिरिक्त प्रतियां।

उक्त प्रार्थनापत्र को दिनांक 19.02.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी की ओर से श्री बाबूलाल बिश्नोई, ओमप्रकाश बिश्नोई अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से दिनांक 14.06.2019 को जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात् तनकीयात कायम की गयी। सरकारी पैरोकार व अप्रार्थी अधिवक्ता ने साक्ष्य नही करवाने हेतु निवेदन किया, जिस पर साक्ष्य उभयपक्ष बंद की गयी तत्पश्चात् सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी एवं उभय पक्षकारान ने बताया कि जवाब को ही बहस समझा जावे। अतः पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 21.12.2020 को पेश करने का आदेश दिया गया।

21.12.2020

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है। भू–धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ़ के आवेदन में स्पष्ट अंकित किया गया है कि ग्राम अरटियां कलां की विवादित भूमि खसरा नं. 39 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा का बेचान दिनांक 11.03.1997 अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा स्वर्ण जाति का होने से विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से प्रारम्भ से ही शून्य है तथा अनुसूचित जाति की कृषि भूमि स्वर्ण जाति को कानूनी प्रावधानुसार नही मिल सकती इसलिए विवादित भूमि राज हक में दर्ज करने की प्रार्थना की।

प्रार्थनापत्र में तनकीयात कायम की गयी , जो इस प्रकार थी–

(1) आया वादी ग्राम अरटियां कलां के खसरा नं. 39 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा का बेचाननामा दिनांक 11.03.1997 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से प्रारम्भ से शून्य है ? – जिम्मे वादी

(2) आया वादी विवादित आराजियात को सिवायचक दर्ज करवाने का अधिकारी है ?

– जिम्मे वादी

(3) आया वादी व प्रतिवादी द्वारा क्रयशुदा भूमि का बेचान कर्ता अनुसूचित जाति का सदस्य है और जाति–भाट व जाति मेघवालों का भाट दोनों अनुसूचित जाति वर्ग में आती है या नही आती है ?

– जिम्मे वादी व प्रतिवादी

प्रथम तनकी को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर था। प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार भोपालगढ़ ने दस्तावेजों व बहस के आधार पर बताया कि अप्रार्थी मदनलाल ने अपने लाभ के लिए खातेदार तुलछी की सही जाति छिपाकर अनुसूचित जाति की विवादित भूमि जरिये बेचाननामा दिनांक 11.03.1997 को खातेदार तुलछी से खरीद कर ली, जबकि विवादित भूमि की खातेदार तुलछी पत्नी हेमाराम जाति भाट (मेघवालों का भाट) अनुसूचित जाति की थी तथा खरीददार अप्रार्थी मदनलाल पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी अरटियां कलां स्वर्ण जाति का व्यक्ति था। उक्त बेचाननामा विधि के अनुकूल नही होने व वर्जित होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है तथा विवादित भूमि पर बेचानकर्ता का कोई भी हक व अधिकार नही रहा है। लेकिन वादी यह सिद्ध नही कर पाया कि मेघवालों का भाट, अनुसूचित जाति वर्ग में आता है। इस बाबत् कोई दस्तावेज भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम तनकी प्रार्थी के विपक्ष में सिद्ध होती है।

द्वितीय तनकी को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर था। प्रार्थी ने दस्तावेजों व बहस के आधार पर बताया कि तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 21.08.1998 में कॉलम नम्बर 14 व 15 में स्पष्ट लिखा गया कि विवादित भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य की है तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा नामान्तरकरण की जांच के दौरान मूल दस्तावेज पेश करने को कहा लेकिन अप्रार्थी ने मूल दस्तावेज जानबूझ कर पेश

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

21.12.2022
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

नही किया तथा अप्रार्थी व ग्राम अरटियां कलां के सरपंच की मिली भगत से ग्राम पंचायत अरटियां कलां में प्रस्ताव लिये बिना ही तथा बिना अधिकार के विवादित भूमि में नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा मेघवालों का भाट किस जाति वर्ग में आता है, यह किसी दस्तावेजीय साक्ष्य से सिद्ध नही होता है सिर्फ पटवारी व भू.अ.नि. के मेघवालों का भाट अंकित कर देने मात्र से किसी की जाति वर्ग सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर द्वितीय तनकी प्रार्थी के विपक्ष में सिद्ध होती है।

तृतीय तनकी को सिद्ध करने का भार प्रार्थी व अप्रार्थी पर था। प्रार्थी ने दस्तावेजों व बहस के आधार पर बताया कि तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 21.08.1998 में कॉलम नम्बर 14 व 15 में स्पष्ट लिखा गया कि विवादित भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य की है। बेचानकर्ता मेघवालों का भाट है जो अनुसूचित जाति मे आता है इसलिए भूमि हस्तान्तरण अवैध है। अप्रार्थी के वकील ने अपनी बहस में बताया कि 'मेघवालों का भाट' जाति अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में नहीं आती है। वकील अप्रार्थी ने यह बताया कि 'भाट' जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है, लेकिन प्रार्थी यह नहीं सिद्ध कर पाये कि 'मेघवालों के भाट' जाति अनुसूचित जाति वर्ग में आती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर तृतीय तनकी प्रार्थी के विपक्ष में एवं अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होती है।

हमने विद्वान अभिभाषक व सरकारी पैरोकार तहसीलदार भोपालगढ़ की बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उपरोक्त बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व तनकीवार विवेचन के आधार पर उपरोक्त प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार भोपालगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेश की पालना करवाकर पालना रिपोर्ट 20 (बीस) दिवस में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनांक 21.12.2020 को खुले इजलास में सुनाया गया।

21.12.2020

सुखाराम पिण्डेल
सहायक कलक्टर
(आर.ए.एस.)
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner